**"मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम कुमारी निवेदिता जैन एवं अन्य"**
**(ए.आई.आर. 1981 सु.को. 2045)**

मध्य प्रदेश में 6 मेडिकल कालेज हैं। इन मेडिकल कालेजों में कुल 720 सीटें हैं। मेडिकल दंत चिकित्सा, आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में भर्ती के लिए 2 अप्रैल 1980 को नियम बनाया है। नियम 7 के अन्तर्गत 15 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 15 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जन जातियों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार कुल 720 सीटों में 108 अनुसूचित जाति एवं 108 अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। केन्द्रीय सरकार एवं अन्य राज्यों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित सीटों के अलावा अन्य स्थानों में भर्ती के लिए पूर्व चिकित्सा परीक्षा आयोजित करने का नियम भी बनाया गया है। योग्यता में 50 प्रतिशत योग में, तथा 33 प्रतिशत प्रत्येक विषय में अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार, सामान्य श्रेणी में सफल माना जायेगा तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के कुल योग में 40 प्रतिशत तथा अलग-अलग विषय में 30 प्रतिशत अंक पाने पर भरती के लिए निर्धारित योग्यता में सफल माने जायेंगे। पूर्व चिकित्सा परीक्षा नियम 20 नोट (11) में अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के अभ्यार्थियों के लिए, राज्य सरकार को, सफल होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों में छूट देने का अधिकार प्राप्त है। परीक्षा में 18 अनुसूचित जाति एवं 2 अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार हीं पूर्व चिकित्सा परीक्षा में सफल हो सके थे। इस प्रकार 90 स्थान अनु. जातियों एवं 106 अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित थे भरे नहीं जा सके, क्योंकि योग्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक, अभ्यर्थी प्राप्त नहीं कर सके। इन वर्गों के और अभ्यर्थियों के भर्ती हेतु, सरकार ने 5 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप 6 अनुसूचित जातियों और 2 अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी प्रवेश पाने में सफल हुए। इस प्रकार 25 स्थान अनुसूचित जातियों और 3 स्थान अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से भरे जा सके, और 6 मेडिकल कालेजों में उक्त वर्गों के लिए आरक्षित शेष स्थान खाली रह गए।

9 सितम्बर 1980 को मध्यप्रदेश सरकार ने अनु.जातियों और अनु.जन जातियों के योग्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक से पूरी तरह छूट देकर खाली स्थानों को भर दिया।

कुमारी निवेदिता जैन जिसने मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए आवेदन किया था और पूर्व चिकित्सा परीक्षा में शामिल हुई थी और न्यूनतम अंक योग्यता के लिए प्राप्त किया था, शासन के आदेश को चुनौती, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत करके दिया।

**विवादयक (ईश)**

(i) मध्य प्रदेश सरकार का आदेश भारतीय मेडिकल कालेज के रेगुलेशन-11- का उल्लंघन करता है, तथा मेडिकल कौंसिल एक्ट 1956 की धारा 19 के अंतर्गत गैर कानूनी है। सरकार के इस कार्य से मेडिकल कालेजों की अमान्यता का खतरा पैदा हो गया है।

(ii) सरकार के आदेश के परिणामस्वरूप आयोग्य उम्मीदवार व कम योग्यता वाले उम्मीदवार मेडिकल कालेजों में प्रवेश पा जायेंगे, इस प्रकार ''समता'' के सिद्धांत का विनाश होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 का उल्लंघन होता है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार के 9 सितम्बर 80 के आदेश को रद्द कर दिया और याचिका स्वीकार कर लिया। (ए.आई.आर. 1981 म.प्र. पृष्ठ 129) (59)

मध्य प्रदेश सरकार ने इस फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया। (निर्णय - ए.आई.आर. 1981 सु.को. 2045)

उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सरकार को प्रत्येक संभव उपाय करना चाहिए। मेडिकल तथा टेक्नीकल संस्थाओं में भरती के लिए स्थानों का आरक्षण सरकार कर सकती है। किसी प्रकार के कानूनी निषेध की अनुपस्थिति में, उक्त वर्गों की भलाई के लिए आरक्षण व्यवस्था सफलता पूर्वक चल रही है कि नहीं, उनको फायदा हो रहा है कि नहीं, इसके संबंध में शर्तें निर्धारित कर सकती है। विशेष स्थिति में, राज्य में व्याप्त परिस्थितियों, पर विचार करने के उपरान्त, सरकार को चुनाव एवं प्रवेश की शर्तों में परिवर्तन करने की छूट है। यदि आरक्षण के उद्देश्य की पूर्ति आवश्यक है, यदि कानून में निषेध नहीं है, मेडिकल कालेजों में भर्ती हेतु बनाए गए नियम 20 नोट-2 में सरकार को, योग्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों में शिथिलता प्रदान करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय द्वारा केरल राज्य बनाम एन.एम. थामस (ए.आई.आर. सु.को. 1976) के प्रकरण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए विभागीय परीक्षा पास करने के लिए 2 वर्ष की समय में वृद्धि किये जाने से संबंधित वर्गीकरण को किसी भी प्रकार मनमाना या अयुक्तियुक्त नहीं माना और पूरी तरह न्यायोचित माना है।

उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को मेडिकल कालेजों में प्रवेश पाने हेतु चुने जाने के नियमों में

शिथिलता का आदेश प्रसारित करने में कोई अनुचित एवं असंवैधानिक कार्य नहीं किया है। इससे अनुच्छेद 15(1) एवं 15(2) के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता है। यह शिथिलता आदेश अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है।

इस निर्णय के द्वारा उच्चतम न्यायालय ने ''अमलेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य'' (ए.आई.आर. 1980 पटना, पृष्ठ-160, को भी रद्द कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि यदि मेडिकल कालेजों में दक्षता व योग्यता का न्यूनतम स्तर कायम नहीं रखा जाता तो अनुच्छेद 15(1) अर्थहीन और स्वप्नवद हो जायगा। यदि अयोग्य उम्मीदवार मेडिकल कालेजों में भर्ती होते हैं तो मेडिकल शिक्षा का स्तर गिर जायेगा। वह कभी पास नहीं हो सकते और वह उसके योग्य डाक्टर भी नहीं बन सकते, जिससे समाज का भला नहीं होगा बल्कि खतरा पैदा हो जायेगा, **उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पटना हाईकोर्ट का निर्णय न्यायोचित नहीं है। एक बार उम्मीदवार के भर्ती हो जाने पर मेडिकल शिक्षा का कोर्स नहीं बदलता, उसको निर्धारित पाठ्यक्रम पढना हीं पडेगा।**

**उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय को उलट दिया और मध्य प्रदेश सरकार के फैसले को कायम रखा था।"**